



प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2026

विषय :- मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित मिस0 एप्लीकेशन नं0-2362-2370/2019 इन क्रिमिनल अपील नं0-254-262/2012 इम्तियाज अहमद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में 9149 न्यायालयों के गठन के प्रथम चरण में प्रदेश में 900 न्यायालयों एवं सहवर्ती पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक(जे) (सेवायें), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10155/मेन-बी/एडमिन (ए-3) इलाहाबाद, दिनांक 28.08.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदेश के जिला न्यायालयों में कुल 9149 न्यायालयों के गठन के क्रम में प्रथम चरण में संलग्नक-1 में दिये गये विवरण के अनुसार, संलग्नक-2 में अंकित प्रदेश के जनपदों के लिए विभिन्न श्रेणी के कुल 900 न्यायालयों एवं सहवर्ती पदों/सेवाओं को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2027 तक के लिए, यदि किसी पूर्व सूचना के इससे पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त 900 न्यायालयों एवं सहवर्ती पदों/सेवाओं का सृजन इस शर्त के अधीन है कि वर्तमान में विद्यमान स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती करने के उपरान्त तथा नवसृजित पदों के सापेक्ष आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ही उक्त नवसृजित पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी तथा शेष चरणों में प्रस्तावित न्यायालयों/पदों के सृजन पर तत्समय उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता इत्यादि के आधार पर विचार किया जाएगा।

3. उक्त 900 न्यायालयों हेतु अर्दली/प्यून/दफतरी के मानव सम्पदा के समतुल्य मानव शक्ति के क्रय अथवा जाब आउटसोर्सिंग से लिए जाने हेतु पदों का सृजन नहीं किया जायेगा तथा कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-12/का-2/2000, दिनांक 06.01.2020 का उक्त आउटसोर्सिंग से लिए जाने वाली सेवाओं के संबंध में पूर्णतः पालन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा विकसित जेम पोर्टल की व्यवस्था को लागू किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 18.12.2019 के अनुक्रम में श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 18.08.2020 एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 26.11.2024 एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2026-2027 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2014-न्याय प्रशासन-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश" के अन्तर्गत विभिन्न सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-12-252-X-2026-27, दिनांक 17-09-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक -यथोक्त।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-17/2026/901(1) /सात-न्याय-2-2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) गृह सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 2) महालेखाकर (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 3) प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 4) संयुक्त निबन्धक (न्यायिक) (सेवायें), मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- 5) संबंधित जनपद न्यायाधीश, उ०प्र० ।
- 6) संबंधित कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
- 7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
- 8) न्याय अनुभाग-9 (बजट) ।
- 9) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(दिनेश सिंह)
विशेष सचिव ।

**शासनादेश संख्या-17/2026/901/सात-न्याय-2-2026-रिट 09/2020, दिनांक 17 सितम्बर, 2026 का
संलग्नक-1**

(1) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के 237 न्यायालय एवं उसके लिए पदों का विवरण

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रूपये)	पदों की संख्या
1	2	3	5
1	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	144840-224100 (पुराना वेतनमान 51550-63070)	237
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	पे लेवल-7, रू0-44900-1,42,400	237
3	मुंसरिम एवं रीडर	पे लेवल-6, रू0-35400-1,12,400	474
4	सीनियर असिस्टेंट (सूट्स क्लर्क, सेशनस क्लर्क, मिसलेनियस क्लर्क)	पे लेवल-5, रू0-29200-92300	711
5	जूनियर असिस्टेंट (कापिस्ट)	पे लेवल-3, रू0-21700-69100	237
योग			1896

सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्य

क्रमांक	सेवाओं की प्रकृति	स्रोत
1	अर्दली, प्यून एवं दफ्तरी के प्रत्येक हेतु 237 अर्थात कुल 711 मानव सम्पदा के समतुल्य मानव शक्ति (Manpower) का क्रय अथवा जाब आउटसोर्सिंग से	श्रम, एम0एस0एम0ई0 तथा कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में जेम पोर्टल/ आउटसोर्सिंग हेतु प्राविधानित व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के 391 न्यायालय एवं उसके लिए पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान/वेतन बैण्ड (रू0)	पदों की संख्या
1	2	3	5
1	सिविल जज (सीनियर डिवीजन)	111000-194660 (पुराना वेतनमान 39530-54010)	391
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	पे लेवल-6, रू0-35400-1,12,400	391
3	मुसंरिम	पे लेवल-5, रू0-29200-92300	391
4	रीडर	पे लेवल-5, रू0-29200-92300	391
5	सीनियर असिस्टेंट (सूट्स क्लर्क, अपील क्लर्क, मिसलेनियस क्लर्क)	पे लेवल-5, रू0-29200-92300	1173
6	जूनियर असिस्टेंट (कापिस्ट)	पे लेवल-3, रू0-21700-69100	391
योग			3128

सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्य

क्रमांक	सेवाओं की प्रकृति	स्रोत
1	अर्दली, प्यून एवं दफतरी के प्रत्येक हेतु 391 अर्थात कुल 1173 मानव सम्पदा के समतुल्य मानव शक्ति (Manpower) का क्रय अथवा जाब आउटसोर्सिंग से	श्रम, एम0एस0एम0ई0 तथा कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में जेम पोर्टल/ आउटसोर्सिंग हेतु प्राविधानित व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के 272 न्यायालय एवं उसके लिए पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान/वेतन बैण्ड (रू0)	पदों की संख्या
1	2	3	5
1	सिविल जज (जूनियर डिवीजन)	77840-163030 (पुराना वेतनमान 27700-44770)	272
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	पे लेवल-5, रू0-29200-92300	272
3	मुसंरिम	पे लेवल-5, रू0-29200-92300	272
4	रीडर	पे लेवल-5, रू0-29200-92300	272
5	सीनियर असिस्टेन्ट (सूट्स क्लर्क, मिसलेनियस क्लर्क)	पे लेवल-5, रू0-29200-92300	544
योग			1632

सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्य

क्रमांक	सेवाओं की प्रकृति	स्रोत
1	अर्दली एवं प्यून के प्रत्येक हेतु 272 अर्थात कुल 544 मानव सम्पदा के समतुल्य मानव शक्ति (Manpower) का क्रय अथवा जाब आउटसोर्सिंग से	श्रम, एम0एस0एम0ई0 तथा कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में जेम पोर्टल/ आउटसोर्सिंग हेतु प्राविधानित व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दिनेश सिंह)
विशेष सचिव।

**शासनादेश संख्या- 17/2026/901/सात-न्याय-2-2026-रिट 09/2020 दिनांक 17 सितम्बर, 2026 का
संलग्नक-2**

Sl. No.	District	HJS	CJ (SD)	CJ (JD)	Total
1	Agra	1	3	1	5
2	Aligarh	5	3	2	10
3	Amethi	0	0	0	0
4	Prayagraj	5	4	5	14
5	Auraiya	4	2	1	7
6	Azamgarh	7	13	11	31
7	Ambedakarnagar	2	4	4	10
8	Baghpat	2	3	1	6
9	Bahraich	4	6	13	23
10	Ballia	2	5	5	12
11	Balrampur	1	1	3	5
12	Banda	2	3	2	7
13	Barabanki	3	8	2	13
14	Bareilly	6	4	2	12
15	Basti	3	6	4	13
16	Bhadohi	1	2	3	6
17	Bijnor	4	5	5	14
18	Budaun	4	5	4	13
19	Bulandshahr	6	9	2	17
20	Chandauli	1	2	3	6
21	Chitrakoot	1	1	1	3
22	Deoria	10	12	2	24
23	Etah	3	2	3	8
24	Etawah	3	3	2	8
25	Farrukhabad	2	3	3	8
26	Fatehpur	4	4	3	11
27	Ayodhya	2	2	5	9
28	Firozabad	5	9	3	17
29	Gautambuddh Nagar	3	7	1	11
30	Ghaziabad	5	13	1	19
31	Ghazipur	3	5	11	19
32	Gonda	2	4	6	12
33	Gorakhpur	6	6	9	21
34	Hamirpur	1	2	2	5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

35	Hapur	1	1	1	3
36	Hardoi	2	6	2	10
37	Hathras	3	2	2	7
38	Jalaun at Orai	2	1	4	7
39	Jaunpur	3	5	12	20
40	Jhansi	3	8	4	15
41	Amroha	2	2	2	6
42	Kannauj	2	4	1	7
43	Kanpur Dehat	3	2	2	7
44	Kanpur Nagar	9	22	4	35
45	Kasganj	1	4	1	6
46	Kaushambi	1	3	1	5
47	Kushinagar	3	6	8	17
48	Lakhimpur Kheri	3	6	3	12
49	Lalitpur	2	5	1	8
50	Lucknow	7	18	3	28
51	Maharajganj	2	4	5	11
52	Mahoba	1	1	1	3
53	Mainpuri	5	7	2	14
54	Mathura	8	8	5	21
55	Mau	3	5	6	14
56	Meerut	6	11	3	20
57	Mirzapur	2	8	1	11
58	Moradabad	4	5	2	11
59	Muzaffarnagar	6	8	2	16
60	Pilibhit	1	3	2	6
61	Pratapgarh	2	4	7	13
62	Rae Bareli	3	9	2	14
63	Rampur	2	5	1	8
64	Saharanpur	3	5	1	9
65	Shamli	1	3	2	6
66	Sambhal	1	2	5	8
67	Sant Kabir Nagar	1	2	2	5
68	Shahjahanpur	2	4	4	10
69	Siddharthnagar	2	2	3	7
70	Sitapur	5	11	9	25
71	Sonbhadra	2	2	2	6
72	Shravasti	1	1	1	3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

73	Sultanpur	5	11	12	28
74	Unnao	4	6	6	16
75	Varanasi	5	8	10	23
	Total	237	391	272	900

(दिनेश सिंह)
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।